कार्यालय जिला परिषद, गुमला

दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु अति अल्पकालीन प्रेस विज्ञप्ति

एतद द्वारा गुमला जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, गुमला की दिनांक 20–06–2018 को आयोजित सामान्य बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन ज्ञापांक 400 दिनांक 17–07–2018 की कंडिका–अन्यान्य–2 में पारित प्रस्ताव के आलोक में निम्नाँकित रूप से निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स के खाली दुकानों को जिला परिषद, गुमला की बैठक में निर्धारित मासिक किराया एवं सुरक्षित जमा राशि के आलोक में नीचे अंकित शर्त्तों के अधीन बन्दोवस्ती की जानी है :–

थाना रोड, गुमला स्थित मार्केट कॉम्पलेक्स अन्तर्गत खाली 33 दुकानों का आवंटन हेतु सुरक्षित जमा तथा किराया तालिका

दुकान का प्रकार	दुकानों का नम्बर	किराया प्रतिमाह	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
A	08	3,000/–	75,000/–	कुल 35 दुकान
A-1	17,24,25,32	2,500/–	62,500/–	
A-2	11,14,15,18,19,23,26,30,31	2,,200/–	55,000/–	
B	36,37,39,40,42,43,46,47,50,51,52	2,000/–	50,000/–	
B-1	34,35,38,44,45,48,49,56,57,58	1,500/–	37,500/–	
मार्केट कॉम्पलेक्स स्थित बड़ा हॉल		**20,000/–**	**75,000/–**	

लोहरदगा रोड, चाँदनी चौक, घाघरा में खाली 08 (16 दुकानों में से) दुकानों का आवंटन हेतु सुरक्षित जमा तथा किराया तालिका

दुकान का प्रकार	दुकानों का नम्बर	किराया प्रतिमाह	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
प्रथमतल	9,10,11,12,13,14,15,16	1,500/–	37,500/–	कुल 08 दुकान

नेतरहाट रोड, चाँदनी चौक, घाघरा में खाली 02 (10 दुकानों में से) दुकानों का आवंटन हेतु सुरक्षित जमा तथा किराया तालिका

दुकान का प्रकार	दुकानों का नम्बर	किराया प्रतिमाह	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
प्रथमतल	8,10	1,500/–	37,500/–	कुल 02 दुकान

विशुनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बनारी में खाली 10 (12 दुकानों में से) दुकानों का आवंटन हेतु सुरक्षित जमा तथा किराया तालिका

दुकान का प्रकार	दुकानों का नम्बर	किराया प्रतिमाह	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
भूतल	2,3,4,6,7,8,9,10	1200/–	25,000/–	कुल 10 दुकान
प्रथमतल	11,12	1,000/–	15,000/–	

गुमला प्रखण्ड स्थित बसुवा मार्केट कॉम्पलेक्स अन्तर्गत 05 दुकानों का आवंटन हेतु किराया तालिका

दुकान का प्रकार	दुकानों का नम्बर	किराया प्रतिमाह	जमानत राशि	अभ्युक्ति
भूतल	1,2,3,4,5	1000/–	20,000/–	कुल 05 दुकान

शर्त्ते :–

2. दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु आवेदन प्रपत्र कार्यालय जिला परिषद, गुमला से **दिनांक 16–08–2018 से 500/– कुल पाँच सौ रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद, गुमला के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं गुमला में भुगतेय हो)** जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
3. एक आवेदक किसी एक ही दुकान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

E:\WORD 2011\Shop Press Notice.docx

09/08 9/8/18

4. **सभी आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के साथ आधार प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा एक शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।**
5. आवेदन पत्र को भरकर विभिन्न वांछित प्रमाण पत्रों एवं सुरक्षित जमा राशि की का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद, गुमला के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं गुमला में भुगतेय हो) संलग्न करते हुए कार्यालय जिला परिषद, गुमला में कार्यालय अवधि में जमा किया जा सकता है।
6. आवेदन प्रपत्र में दुकान का नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानों के लिए अंकित नम्बर के अनुसार ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक के द्वारा आवेदन प्रपत्र में अंकित दुकान नम्बर के अनुसार ही दुकान आवंटन पर विचार किया जायगा तथा अंकित दुकान नम्बर के अलावे अन्य नम्बर की दुकान आवंटन पर विचार नहीं किया जायगा।
7. दुकान के लिए प्राप्त आवेदन प्रपत्र के आलोक में दुकान आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
8. दुकान आवंटन की सूची प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर आवेदक को एकरारनामा करना होगा तथा निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं करने पर दुकान आवंटन आदेश को रद्द् कर दिया जायगा।
9. एकरारनामा की तिथि से निर्धारित किराया शुल्क लागू हो जायगा।
10. दुकान का निर्धारित किराया प्रत्येक माह के 25 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। लगातार तीन माह तक किराया जमा नहीं होने की स्थिति में दुकान का आवंटन रद्द् कर दिया जायगा।
11. दुकान में किसीप्रकार की गैर कानूनी सामग्री की बिक्री नहीं की जायगी अन्यथा दुकान का आवंटन रद्द् करते हुए प्रतीक्षा सूची में दर्ज दुसरे आवेदक को दुकान आवंटित कर दिया जायगा। दुकान के स्वरूप को आवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा।
12. दुकान में विद्युत आपूर्त्ति की ब्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी तथा विद्युत विपत्र का भी भुगतान आवेदक को स्वयं ही करना होगा।
13. जिन आवेदक को दुकान आवंटित होगा उन्हें स्वयं ही ब्यवसाय करनी होगी। अगर पाया जाता है कि आवेदक अपने दुकान को किसी भी अन्य ब्यक्ति को किराये पर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में दुकान का आवंटन रद्द् कर दिया जायगा।
14. प्रत्येक तीन वर्ष में दुकान किराये में 15 % राशि की वृद्धि की जायगी, जिसे आवेदक को स्वीकार करना होगा।
15. समय–समय पर नियम एवं शर्त्त में बदलाव करने का अधिकार जिला परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
16. किसी भी प्रकार का वाद–विवाद में जिला परिषद द्वारा लिये गये निर्णय ही अंतिम व सर्वोपरी माने जायेंगे।
17. दुकान आवंटित करने अथवा आवंटित दुकान के एकरारनामा को विशेष परिस्थिति में रद्द् करने का अधिकार जिला परिषद, गुमला के पास सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
जिला परिषद, गुमला।

ज्ञापांक 439 / जि0प0गुमला **दिनांक 10 वीं अगस्त 2018**

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस प्रेस विज्ञप्ति की प्रति कार्यालय स्थित नोटिस बोर्ड में लगवाना सुनिश्चित किया जाय।

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
जिला परिषद, गुमला।

E:\WORD 2011\Shop Press Notice.docx